न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:– 29/2024
प्रार्थना पत्र 251(ए) आर.टी.ए.
मस्तान सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख नि.शेरगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ –प्रार्थी

बनाम

1. बलराज सिंह पुत्र गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तह.संगरिया
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया
3. बलकरण सिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया –अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग –वकील प्रार्थी
2. श्री हरबंश झोरड–वकील अप्रार्थी सं. 1 व 3

निर्णय दिनांक :– 25.2.2024

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 16 एमकेएस के खाता सं. 168/16 में 2.783 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 16 एमकेएस के खाता सं. 135/19 में 3.3010 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की भूमि पूर्व में सांझा खाता में दर्ज थी। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नही है जिससे प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु काफी कठिनाईयो का सामना करना पडता है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए चक 16 एम.के.एस. के प.नं. 166/231 मु.नं. 101 के कि.नं. 6,15 तथा 16/1 में डेढ़–डेढ बिस्वा रास्ता की आवश्यकता है। उक्त रास्ता सबसे नजदीक पडता है। उक्त चक 16 एम.के.एस. के प.नं. 166/231 मु.नं. 101 के कि.नं. 6,15 तथा 16/1 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी सं. के नाम दर्ज कृषि भूमि की जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त रास्ता नजदीकी व उचित रास्ता है। प्रार्थी इसी अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 से कई बार निवेदन किया कि वे प्रार्थी को कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र की दफा 4 के अनुसार रास्ता मंजूर करवा देवे। प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है तथा डीएलसी रेट की दौगुनी राशि देने को भी तैयार है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी सं. 1 से रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया पहले तो अप्रार्थी सं. 1 टालमटोल करता रहा लेकिन अन्त में पिछले सप्ताह अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के उक्त निवेदन से स्पष्ट इनकार हो गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 16 एमकेएस प.न. 166/231 मु.न. 101 किला नं. 6/, 15 तथा 16/1 में डेढ–डेढ बिस्वा पत्थर लाईन के साथ साथ रास्ता स्वीकृत किया जाकर उक्त कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता मौका पर चालू करवाया जावे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपना राजीनामा (राजस्थान काश्तकारी/सरकारी संशोधित नियम 2012 के नियम 70(1)(प) के तहत) प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का भली–भांति अवलोकन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251(A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियान्विति आदेश

अतः मुताबिक राजीनामा के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी मस्तान सिंह के नाम से चक 16 एमकेएस के खाता सं. 168/16 प.नं. 166/230 मु. नं. 89 के कि.नं. 23/0.253 है. में से 12 फुट चौडा व 165 फुट लम्बाई में दक्षिण से उत्तर की और (कि.नं. 22 के साथ चिपता) व कि. नं. 18/0.253 है. में से 12 फुट चौडा X 165 फुट लम्बाई में दक्षिण से उत्तर की और (कि.नं. 19 के साथ चिपता) व अप्रार्थी सं. 1 बलराज सिंह के नाम चक 16 एमकेएस के खाता सं. 135/19 के प.नं. 166/231 मु.नं. 101 कि.नं. 18/1/0.240 है. में से 12 फुट चौडा X 157 फुट लम्बाई दक्षिण से उत्तर की और (कि.नं. 19 के साथ चिपता) व प.नं. 166/230 के मु.नं. 89 के कि.नं. 13/0.253 है. में से 12 फुट चौडा ₹ 165 फुट लम्बाई में पश्चिम से पूर्व की और (कि.नं. 18 की साथ चिपता) व कि.नं. 14/0.253 है. में से 12 फुट चौडा X 165 फुट लम्बाई पश्चिम से पूर्व की और (कि.नं. 17 के साथ चिपता) एवं अप्रार्थी सं. 3 बलकरण सिंह के नाम चक 16 एमकेएस खाता सं. 89/63 प.नं. 166/231 के मु.नं. 101 के कि.नं. 13/0.253 है. में से 12 फुट चौडा X 165 फुट लम्बा दक्षिण से उत्तर की और (कि.नं. 12 के साथ चिपता) कि.नं. 8/2/0.063 है. व इसी चक के खाता सं. 88/16 के प.नं. 166/231 के मु.नं. 101 कि.नं. 8/1/0.190 है. में से 12 फुट चौडा X 165 फुट लम्बाई में दक्षिण से उत्तर की और (कि.नं. 9 के साथ विपता) व कि.नं. 3/1/0.228 है. में से 12 फुट चौडा X 149 फुट लम्बाई में दक्षिण से उत्तर की और (कि.नं. 2 के साथ चिपता) रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मंजूरशुदा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जावें। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य हुआ राजीनामा निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें।

आदेश आज दिनांक 25/2/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया